उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

/ / ज्ञापन / /

क्र. **A/192** / 2025 जबलपुर, दिनांक 20 / 01 / 2025

प्रति,

1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश.....................(म.प्र. राज्य के समस्त)

2. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय................(म.प्र. राज्य के समस्त)

विषयः— मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल, फा. क्रमांक 1127 / 21—ब(एक) / 2024 दिनांक 15.03.2024(माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सिविल) कमांक 643 / 2015 ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन विरूद्ध भारत संघ एवं अन्य) के अंतर्गत ऐसे न्यायिक अधिकारी जिन्हें सुविधाएं (भत्ते) के ऐरियर की राशि का भुगतान होना शेष है, की सूची प्रेषित किये जाने बाबत्।

संदर्भः— रजिस्ट्री ज्ञापन कमांक सी / 8946, दिनांक 20 / 12 / 2024।

——00——

उपरोक्त विषय एवं रजिस्ट्री के संदर्भित ज्ञापन के संबंध में लेख है कि आपकी स्थापना पर दिनांक 01 / 01 / 2016 से ऐसे कार्यरत / सेवानिवृत्त न्यायिक सेवा के अधिकारियों जिन्हें सुविधाएं (भत्ते) के ऐरियर की राशि प्राप्त नहीं हुई है, उन अधिकारियों के नाम की सूची संलग्न **प्रपत्र—अ** में दर्शाये अनुसार इस रजिस्ट्री के ई—मेल आईडी **regmhcjbp@mp.gov.in** पर **दिनांक 22 / 01 / 2025 तक अनिवार्य रूप से अबिलंब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।**

संलग्नः— **प्रारूप—'अ'**

20.01.25

(राजेश कुमार शर्मा)
रजिस्ट्रार (एम)

प्रारूप–'अ'

स.क्र.	न्यायिक सेवा के अधिकारियों के नाम जिन्हें भत्तों के ऐरियर राशि का भुगतान नहीं हुआ है।	सुविधाओं के 19 भत्तों में से किन भत्तों का भुगतान संबंधित अधिकारी को नहीं हुआ है, **उस भत्ते का नाम।**	रिमार्क
1	2	3	4

नोटः– उक्त जानकारी केवल ई–मेल के माध्यम से दिनांक 22/01/2025 तक अनिवार्य रूप से प्रेषित करें।

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर